भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3858
बुधवार, दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की योजनाएं</u>

3858. श्री चन्द्र प्रकाश चौधरीः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पर्यावरण पर विशेषकर झारखंड राज्य में पारंपरिक ऊर्जा के प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए देश में नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन योजनाओं के कार्यान्वयन के पश्चात नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है; और

(ग) चालू वर्ष सहित प्रत्येक वर्ष झारखंड सहित राज्य वार कितनी मात्रा में ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) झारखंड राज्य सहित देश में अक्षय ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण अनुलग्नक-**I** में दिया गया है।

(ख) अक्षय ऊर्जा उत्पादन वर्ष 2014-15 में 190.96 बिलियन यूनिट से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 359.88 बिलियन यूनिट हो गया है।

(ग) झारखंड राज्य सहित देश में पिछले तीन वर्षों और चालू वर्षों के दौरान अक्षय ऊर्जा उत्पादन का राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक-**II** में दिया गया है।

अनुलग्नक-**I**

'नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की योजनाएं' के संबंध में पूछे गए दिनांक 18.12.2024 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 3858 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-**I**

सरकार द्वारा वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही प्रमुख अक्षय ऊर्जा (आरई) योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा

1. 40,000 मेगावाट क्षमता की स्थापना के लक्ष्य से सौर पाकों और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए योजना। योजना के तहत भूमि, सड़कें, विद्युत निकासी प्रणाली, जल की सुविधाओं को सभी सांविधिक स्वीकृतियों/अनुमोदनों के साथ विकसित किया जाता है। इस प्रकार, यह योजना देश में उपयोगिता स्तरीय सौर परियोजनाओं के तेजी से विकास में मदद करती है। इस योजना में 8,100 करोड़ रुपये के केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) परिव्यय से 40,000 मेगावाट की क्षमता की व्यवस्था है।

2. सरकारी उत्पादकों द्वारा व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) के साथ स्वयं या सरकार/सरकारी संस्थाओं के उपयोग हेतु प्रत्यक्ष तौर पर या वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के माध्यम से स्वदेशी रूप से निर्मित सौर पीवी सेलों एवं मॉड्यूलों का उपयोग करके ग्रिड कनेक्टेड सौर फोटोवोल्टेक (पीवी) विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) योजना चरण-II (सरकारी उत्पादक योजना)। इस योजना में 8,580 करोड़ रुपये के सीएफए परिव्यय से सरकारी संस्थाओं द्वारा 12 गीगावॉट सौर ऊर्जा परियोजनाओं की क्षमता की व्यवस्था है।

3. उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूलों (ट्रांश-I और II) में गीगावाट स्तर की निर्माण क्षमता हासिल करने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना 'राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम'। इस योजना में 24,000 करोड़ रुपये के सीएफए परिव्यय से उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूलों की पूर्ण/आंशिक रूप से एकीकृत विनिर्माण क्षमता की स्थापना की व्यवस्था है।

4. लघु ग्रिड कनेक्टेड सौर विद्युत संयंत्रों, स्टैण्ड-अलोन सौर चालित विद्युत कृषि पंपों और मौजूदा ग्रिड कनेक्टेड कृषि पंपों के सौरीकरण को बढ़ावा देने के लिए पीएम-कुसुम। यह योजना न केवल किसानों के लिए बल्कि राज्यों और डिस्कॉमों के लिए भी लाभकारी है। इस योजना के तहत 34,422 करोड़ रुपये के सीएफए परिव्यय से 10,000 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सौर संयंत्रों और 49 लाख पंपों की स्थापना/सौरीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है।

5. 75,021 करोड़ रुपये के सीएफए परिव्यय से 1 करोड़ घरों (30 गीगावाट क्षमता) हेतु रूफटॉप सौर स्थापित करने के लिए पीएम-सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना।

6. हरित ऊर्जा कॉरिडोर (जीईसी) चरण-I और II: अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन प्रणाली का निर्माण करना। योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत 8 राज्यों में 4056 करोड़ रुपये के सीएफए परिव्यय से 9700 सर्किट किलोमीटर पारेषण अवसंरचना विकसित की जाएगी। योजना के चरण-II के अंतर्गत 3970 करोड़ रुपये के सीएफए परिव्यय से 7 राज्यों में 10,750 सीकेएम पारेषण अवसंरचना विकसित की जाएगी।

7. 7453 करोड़ के कुल परिव्यय से 'अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) योजना' को अनुमोदित किया है, जिसमें 1 गीगावाट की अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं (गुजरात और तमिलनाडु प्रत्येक के तट पर 500 मेगावाट) की स्थापना और चालू करने के लिए 6853 करोड़ का परिव्यय और अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए लॉजिस्टिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दो बंदरगाहों के उन्नयन के लिए 600 करोड़ का अनुदान शामिल है।

8. जैव-ऊर्जा कार्यक्रमः

- अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रमः शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट/अवशिष्ट से ऊर्जा संबंधी कार्यक्रम।
  स्वीकृत लक्ष्यः 200 मेगावाट समतुल्यः सीएफए परिव्ययः 600 करोड़ रुपये
- बायोमास कार्यक्रमः ब्रिकेट्स और पैलेट्स के निर्माण में सहायता और उद्योगों में बायोमास (गैर-खोई) आधारित सह-उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए योजना।
  स्वीकृत लक्ष्यः 100 मेगावाट; सीएफए परिव्यय 158 करोड़ रुपये
- बायोगैस कार्यक्रमः घरेलू बायोगैस संयंत्रों को बढ़ावा देने के लिए।
  स्वीकृत लक्ष्यः 100 करोड़ रुपये के सीएफए परिव्यय के साथ 50,000 घरेलू बायोगैस संयंत्र

9. नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास (आरई-आरटीडी) कार्यक्रम। 228 करोड़ रुपये के सीएफए परिव्यय के साथ अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं, परीक्षण केंद्रों, स्टार्टअप आदि को सहायता।

10. अल्पकालिक प्रशिक्षण एवं कौशल विकास कार्यक्रम, फेलोशिप, इंटर्नशिप, अक्षय ऊर्जा के लिए लैब अपग्रेडेशन हेतु सहायता और अक्षय ऊर्जा चेयर जैसे घटकों के साथ मानव संसाधन विकास योजना। इस योजना में 200 करोड़ रुपये के सीएफए परिव्यय से अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में कुशल जनबल की व्यवस्था है।

11. ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव्स के उत्पादन, उपयोगिता एवं निर्यात के लिए भारत को वैश्विक केन्द्र बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की गई। इस योजना में 19,744 करोड़ रुपये के सीएफए परिव्यय से वर्ष 2030 तक कम से कम 5 एमएमटी (मिलियन मीट्रिक टन) वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता की व्यवस्था है।

अनुलग्नक-II

'नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की योजनाएं' के संबंध में पूछे गए दिनांक 18.12.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3858 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अक्षय ऊर्जा उत्पादन* का राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (अक्तूबर, 2024 तक)
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	34.77	37.88	39.50	23.32
2	आंध्र प्रदेश	18776.44	20159.49	18837.67	12696.96
3	अरुणाचल प्रदेश	4163.41	4845.79	4280.73	3219.95
4	असम	798.34	760.61	995.96	1065.85
5	बिहार	239.83	288.85	342.08	203.71
6	चंडीगढ़	14.19	12.61	11.70	6.49
7	छत्तीसगढ़	2342.34	2240.42	2799.20	2084.38
8	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	96.83	30.62	28.86	15.80
9	दिल्ली	458.73	530.20	728.81	448.73
10	गोवा	16.82	19.96	67.95	38.06
11	गुजरात	27461.04	35895.77	43039.55	31122.85
12	हरियाणा	1135.42	1419.73	1651.50	1263.87
13	हिमाचल प्रदेश	38503.40	41579.81	38952.37	35171.65
14	जम्मू एवं कश्मीर	17489.83	17170.62	16282.93	13004.84
15	झारखंड	576.67	327.57	219.96	214.88
16	कर्नाटक	42570.74	42731.82	39499.72	27862.94
17	केरल	10932.06	9935.26	7359.96	6273.10
18	लद्दाख	405.98	402.78	388.48	337.18
19	लक्षद्वीप	0.30	0.10	0.09	0.05
20	मध्य प्रदेश	13403.45	16181.79	16099.80	12301.75
21	महाराष्ट्र	21853.02	23100.88	24029.90	14578.55
22	मणिपुर	462.20	486.77	307.14	431.28
23	मेघालय	886.50	1052.41	875.13	844.38
24	मिजोरम	165.53	266.40	217.74	244.10
25	नागालैंड	164.02	289.32	246.61	255.20
26	ओडिशा	6311.73	6654.91	7423.92	5156.80
27	पुडुचेरी	12.24	12.24	12.24	7.14
28	पंजाब	6951.88	8569.23	8798.82	4765.56
29	राजस्थान	24581.15	41957.48	48162.93	33540.16
30	सिक्किम	11506.25	11709.14	8622.21	1648.08
31	तमिलनाडु	29273.35	33592.22	33166.59	25877.36
32	तेलंगाना	12972.52	13439.96	8752.39	8454.66
33	त्रिपुरा	7.62	6.58	7.01	3.35
34	उत्तर प्रदेश	7731.62	8191.22	8052.23	4170.15
35	उत्तराखंड	15204.45	16368.16	14850.17	11724.34
36	पश्चिम बंगाल	5034.93	5382.85	4736.88	2940.52
	कुल	322539.63	365651.45	359888.76	261997.99

*भूटान से आयात को छोड़कर बड़ी जल विद्युत उत्पादन

स्रोतः केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)

*****